संख्या-6/एफ1-304/18 श्र0सं0 3386

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

के० सेंथिल कुमार
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -14.5.18

विषय: राज्य योजना ''श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण'' का वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वियन हेतु ₹ 1083.02 लाख (रूपये दस करोड़ तेरासी लाख दो हजार) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि '' श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण'' योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 1083.02 लाख (रूपये दस करोड़ तेरासी लाख दो हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 में प्रदत्त शक्यिों के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. इसके अन्तर्गत ही इस वार्षिक कार्य योजना पर तत्काल व्यय किया जायेगा। यह चालू योजना है ।

3. उक्त स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं0-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड- 26-2230011010108) के अन्तर्गत निम्नांकित इकाईयों से विकलनीय होगा :-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
13- कार्यालयी व्यय	
0108.13.01 कार्यालय व्यय	60,00,000
0108.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,000
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	
0108.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	10,00,000
0108.20.03 प्रशिक्षण व्यय	3,00,000
26- विज्ञापन और प्रकाशन	
0108.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	10,00,000
28- व्यावसायिक सेवाएँ	
0108.28.02 संविदा सेवाएँ	1,000
53- मुख्य निर्माण कार्य	
0108.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	10,00,00,000
योग-26-2230.01.101.0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	**10,83,02,000**

(₹ दस करोड़ तेरासी लाख दो हजार) मात्र ।

160

4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 1083.02 लाख (₹ दस करोड़ तेरासी लाख दो हजार) मात्र का उद्व्यय /बजट उपबंध स्वीकृत है। जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

(क)	कम्प्यूटराईजेशन एवं आधुनिकीकरण पर व्यय	-	₹ 60.00 लाख
(ख)	संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था हेतु	-	₹ 00.01 लाख
(ग)	विभिन्न श्रम अधिनियमों विशेषकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रचार-प्रसार पर व्यय	-	₹ 10.00 लाख
(घ)	सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण एवं सिम्पोजियम पर व्यय	-	₹ 10.00 लाख
(ड.)	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण	-	₹ 0.50 लाख
(च)	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियो के क्षमता का उन्नयन (प्रशिक्षण) पर व्यय	-	₹ 2.50 लाख
(छ)	डाटा इंट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक के भुगतान पर व्यय	-	₹ 00.01 लाख
(ज)	दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के निर्माण पर व्यय	-	₹ 1000.00 लाख
		-	**₹ 1083.02/- लाख**

(रूपये दस करोड़ तेरासी लाख दो हजार)मात्र ।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।

6. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक (कृ०श्र०) निदेशालय /सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना /सभी संबंधित उप श्रमायुक्त/सभी संबंधित सहायक श्रमायुक्त/सभी संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना /मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी संबंधित कारखाना निरीक्षक /मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी वाष्पित्र निरीक्षक एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/ उप कोषागार/ विकास भवन कोषागार, पटना / सिंचाई भवन कोषागार, पटना से होगी ।

विश्वासभाजन,

14/5/18

(के०सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- 3386 पटना, दिनांक 14-5-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, निदेशालय कृषि श्रमिक/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार पटना/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी वाष्पित्र निरीक्षक/प्रबंधक,बिहार सचिवालय भोजशाला, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी /आई.टी. मैनेजर,श्रम संसाध्न विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा(श्रम पक्ष)/ बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/5/18

(के०सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।